E.mail

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–परिषद–9/ 441 दिनांक–03-8-2018

विषयः– नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाले विद्यालयों की जांच किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया परिषद की विज्ञप्ति पत्रांक–371–8 दिनांक–09–07–2018 का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

ज्ञातव्य है कि परिषद विनियमों के अध्याय–सात के विनियम–3(क) तथा 3(ख) में निम्नवत् प्रावधान हैः–

विनियम–3(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर(मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण–पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो,के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 जुलाई(बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 जुलाई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।।
3(ख)जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन–पत्रों की सूची,जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो,संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः– 1– 15 जुलाई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की सूची– 31 जुलाई तक। 2– 31 जुलाई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची– 16 अगस्त तक। 3–जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर।

विनियमों के उपर्युक्त प्रावधानानुसार संस्थाओं द्वारा आनलाइन मान्यता आवेदन करने की अन्तिम तिथि(विलम्ब शुल्क सहित) 31 जुलाई,2018 समाप्त हो गयी है। जिन संस्थाओं द्वारा मान्यता हेतु आवेदन किया गया है, वह आपके वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध है।

उचित होगा कि आपके जनपद में जिन संस्थाओं द्वारा मान्यता हेतु आवेदन किया गया है, उसकी स्थलीय जांच मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुरूप जनपद स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा कराकर तत्काल परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आनलाइन प्रेषित

Scanned by CamScanner

करने का कष्ट करें। इसके लिये अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न की जाय। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रेषित स्थलीय निरीक्षण आख्या/ संस्तुति के आधार पर ही प्रकरण परिषद की मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

मान्यता के प्रकरण महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। अतः इस पर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–परिषद–9/441(1-6) दिनांक–03-8-2018

उक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–उपसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–7,लखनऊ।
2–शिक्षा निदेशक(मा0) शिविर कार्यालय,18 पार्क रोड,लखनऊ।
3–समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
4–समस्त संभागीय उपशिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
5–क्षेत्रीय सचिव,मा0शि0प0,क्षे0का0,मेरठ,बरेली,वाराणसी,इलाहाबाद तथा गोरखपुर।
6–उपसचिव(सिस्टम सेल)मुख्यालय,इलाहाबाद।

3.8.

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

Scanned by CamScanner